

राजस्थान – सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/अध्ययन अवकाश/पीजी-2023/2024/122 दिनांक : 14/05/2024

— आदेश —

निम्न लिखित सेवारत चिकित्सक का उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का अध्ययन अवकाश एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है :-

एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर

क. सं.	चिकित्सक का नाम	जन्म तिथि	राज्य सेवा में प्रथम कार्यग्रहण तिथि	जिस विषय में पीजी कर रहे का नाम	अध्ययन अवकाश की अवधि
1	डॉ० माधवी सिंह	20.06.1995	15.02.2021	निश्चेतन	17.11.22 से 16.11.25

एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर

क. सं.	चिकित्सक का नाम	जन्म तिथि	राज्य सेवा में प्रथम कार्यग्रहण तिथि	जिस विषय में पीजी/डीएम कर रहे का नाम	अध्ययन अवकाश की अवधि
1	डॉ० हरीश मील	05.05.1994	31.05.2021	गेस्ट्रोएन्ट्रोलोजी	12.01.24 से 11.01.27

राजकीय मेडिकल कॉलेज कोटा

क. सं.	चिकित्सक का नाम	जन्म तिथि	राज्य सेवा में प्रथम कार्यग्रहण तिथि	जिस विषय में पीजी कर रहे का नाम	अध्ययन अवकाश की अवधि
1	डॉ० रिषभ नागर	11.02.1997	21.12.2020	टीबी एण्ड चैस्ट	01.11.23 से 31.10.26

सामान्य चिकित्सालय सवाईमाधोपुर

क. सं.	चिकित्सक का नाम	जन्म तिथि	राज्य सेवा में प्रथम कार्यग्रहण तिथि	जिस विषय में पीजी कर रहे का नाम	अध्ययन अवकाश की अवधि
1	डॉ० आशु गुर्जर	23.07.1993	30.08.2018	डीएनबी (स्त्री एवं प्रसूति रोग)	01.11.23 से 31.10.25
2	डॉ० राकेश सैनी	12.11.1986	02.06.2016	डीएनबी (पल्मोनेरी मेडिसिन)	01.11.23 से 31.10.25

उक्त आदेश पूर्व में अध्ययन अवकाश का लाभ प्राप्त नहीं किये जाने की स्थिति में ही मान्य होगा एवं अग्रिम कार्यवाही से पूर्व सम्बन्धित महाविद्यालय अध्ययन अवकाश की सभी शर्तों की पालना सुनिश्चित कर लें।  
उक्त आदेश राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 05.07.2022 एवं प्राप्त निर्देशों के अनुसरण में जारी किये गए हैं।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : राजपत्रित/अध्ययन अवकाश/पीजी-2023/2024/122

दिनांक : 14/05/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मा० चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (मुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर
3. सम्बन्धित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
4. सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
5. आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
6. कार्यालय अधीक्षक एटीसी/डीपीसी सैल, राजपत्रित मुख्यालय।
7. प्रभारी सर्वर रूम को भेज कर लेख है कि आज ही विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने का श्रम करावें।
8. रक्षित/निजी पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

Document certified by RAVI PRAKASH MATHUR <rajasthan@prakashmathur.co.in>

Digitally Signed by RAVI PRAKASH MATHUR  
Designation: Director  
Date: 14-05-2024 10:58:00

RajKaj Ref  
7150257